उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन–2018

संक्षिप्त विवरण

1. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की लोकसूचना (प्ररूप–1) हिन्दी में दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' तथा PUBLIC NOTICE (FORM-1) अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र "THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW" के दिनॉक 05 मार्च, 2018 के अंक में प्रकाशित करायी गयी।

2. दिनॉक 07 मार्च, 2018 को श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु 02 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

3. दिनॉक 09 मार्च, 2018 को श्रीमती बच्चन जया अमिताभ द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु 02 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

4. दिनॉक 12 मार्च, 2018 को श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा पुनः 02 सेट में, श्री अरूण जेटली द्वारा 03 सेट में, श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा 1 सेट में, श्री अनिल कुमार जैन, श्री अशोक बाजपेई, श्रीमती कान्ता कर्दम, श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री हरनाथ सिंह यादव श्री सकलदीप, श्री जी0वी0एल नरसिम्हाराव एवं श्री अनिल अग्रवाल द्वारा 02–02 सेटों में तथा श्री सलिल विश्नोई व श्री विद्यासागर सोनकर द्वारा 1–1 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।

5. उक्त सभी नामांकन–पत्रों को निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 7 के अनुसार प्ररूप 3ख/FORM 3B में नामांकन दाखिल किये जाने की सूचना तैयार कराकर दाखिल करने वाली तिथि को ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया तथा उसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को भेज दी गयी।

4. उक्त सभी नामांकन–पत्र, फार्म–26 तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नाम–निर्देश–पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पदा, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी दाखिल किये जाने वाले शपथ–पत्र की छाया प्रतियां नामांकन–पत्र दाखिल करने वाली तिथि को ही जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को तथा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।

5. दिनॉक 13 मार्च, 2018 को पूर्वाहन् 11.00 बजे उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की गई। संवीक्षा में श्री महेश चन्द्र शर्मा दाखिल नामांकन पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त नामांकन पत्र वैध पाये गयें।

6. संवीक्षा के उपरांत विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार प्ररूप–4 (हिन्दी में)/FORM-4 (अंग्रेजी मे) तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा उसकी दो–दो प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई।

7. दिनॉक 15 मार्च, 2018 को श्री सलिल विश्नोई व श्री विद्यासागर सोनकर द्वारा अपनी अभ्यर्थिता अपेक्षित प्ररूप में वापस ली। तदुपरान्त निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 10 (1) के अनुसार प्ररूप 7 ख (हिन्दी)(संलग्न)/FORM 7B (संलग्न) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराकर प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित की गई।

8. दिनांक 23 मार्च, 2018 को मतगणना के उपरान्त निर्वाचन का परिणाम प्ररूप 23ा (हिन्दी) (संलग्न)/FORM 23 B (अंग्रेजी) में तैयार करा कर रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित किया गया ।